या भागलपुर जाकर कटाना पड़ता है क्योंकि आरक्षण केवल इन्हीं दो स्टेशनों में होता है; और

(ङ) क्या यात्रियों को इस स्टेशन पर भी आरक्षण की सुविधा देने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी): (क) दोहरी लाइन बिछाने का काम जो कि प्रगति पर है का पूरा होना वर्षानुवर्ष धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है। दो क्रासिंग स्टेशनों पर काम पूरा हो चुका है।

(ख) पूर्व रेलवे की किऊल-साहिबगंज लूप लाइन पर बरियारपुर नामक कोई स्टेशन है नहीं। हालांकि इस लाइन पर बरियारपुर नामक एक स्टेशन है। इस स्टेशन की इमारत छोटी नहीं है। यहां पर एक उच्च श्रेणी प्रतिक्षा कक्ष, 2 प्रतीक्षालयों, दो 1150 फुट लम्बे और 18 फुट 8 इंच चौड़े निचली सतह वाले प्लेट फार्मों की व्यवस्था की गयी है। यात्रियों के पीने के पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिये स्थायी पानी वाला है और गर्मी के मौसम के लिये दो कर्मचारी भी तैनात किये जाते है। स्टेशन पर दो बुकिंग क्लर्क है और दो आवश्यक उपस्कर लगाये गये हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) बरियारपुर से 169 अप भागलपुर-बम्बई जनता एक्सप्रेस के लिये टिकट जारी करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

बरियारपुर में आरक्षण सुविधायें पहले से ही मौजूद है, जहां 328 भागलपुर-हावड़ा फास्ट पैसेंजर, 13 अप अपर इंडिया एक्सप्रेस और 167 विक्रमशिला एक्सप्रेस में आरक्षण कोटे की व्यवस्था की गयी है। अब यह भी विनिश्चय किया गया है कि 1-10-1984 से 169 अप भागलपुर-बंबई जनता एक्सप्रेस में दूसरे दर्जे की दो शायिकाओं का कोटा अलग से रखा जाये।

परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता

978. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में परिवार कल्याण कार्यक्रम और विशेष रूप से बच्चों के कल्याण संबंधी कार्यक्रम में कितनी सफलता मिली है ;

(ख) राज्यवार परिवार कल्याण कार्यक्रम के क्षेत्रों में हुई प्रगति क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि ईसाई और मुसलमान आदि इस कार्यक्रम को स्वीकार नहीं कर रहे है, यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) परिवार कल्याण कार्यक्रम की जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षों की उपलब्धियों का एक विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) परिवार नियोजन में गत तीन वर्षों की राज्यवार उपलब्धियों का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है। [अनुबंध I II के लिए **देखिये** परिशिष्ट (XXXI अनुबंध संख्या 26]

(ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम सारे देश में स्वेच्छिक आधार पर क्रियान्वित

किया जा रहा है तथा उसे सभी समुदायों द्वारा अपनाया जा रहा है । 1981 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का धर्म-वार ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है ।

बीमारियों का उन्मूलन

979. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुष्ट रोग, यक्ष्मा मोतियाबिन्द और कैन्सर की स्थिति क्या है तथा इन बीमारियों के उन्मूलन के लिए क्या योजना है ; और

(ख) इस संबंध में सरकार के प्रयास किस सीमा तक सफल हुए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) इन रोगों की स्थिति और इनके नियंत्रण और उन्मूलन के लिए किए उपाय तथा उपलब्धियों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

कुष्ठ रोग : देश में कुष्ठ के फैलने की औसत दर 1981 की प्रति हजार आबादी पर 5.77 है । इस शताब्दी के अन्त तक देश से कुष्ठ का उन्मूलन करने के लिए राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुष्ठ नियंत्रण यूनिटों और केन्द्रों द्वारा प्रतिवर्ष औसतन लगभग 4.00 लाख नए रोगियों का पता लगाया जाता है और रोग रहित करके लगभग 3 लाख रोगियों को छुट्टी दी जाती है । मार्च, 1984 तक 31 लाख कुष्ठ रोगी दर्ज किए गए थे । इनमें से 29 लाख रोगियों को इलाज प्रदान किया जा रहा था ।

क्षय रोग : अनुमान है कि कुल जनसंख्या में से लगभग 1.5 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो फेफड़े के क्षय रोग से पीड़ित हैं और उनका यह रोग एक्सरे के हिसाब से सक्रिय है । उनमें से एक चौथाई लोगों का थूक पाजिटिव है अर्थात् वे संक्रामक हैं । सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया है । इसके अन्तर्गत रोगियों का पता लगाने और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नए यक्ष्म-रोग-सूचक व्यक्तियों के थूक की जांच करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं । वर्ष 1983–84 में 12.50 लाख रोगियों का पता लगाने का लक्ष्य रखा गया था । इसमें से लगभग 12.08 नए रोगियों का पता लगाया गया और उन्हें इलाज प्रदान किया गया ।

दृष्टिहीनता : भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा 1973–75 में देश के विभिन्न भागों में किए गए नमूना सर्वेक्षण के अनुसार देश में लगभग 90 लाख व्यक्तियों के दृष्टिहीन होने का अनुमान है । लगभग 55 प्रतिशत दृष्टिहीनता का कारण मोतियाबिन्द है जो प्रायः बुढ़ापे में होता है । भारत सरकार ने राष्ट्रीय दृष्टिहीनता निवारण कार्यक्रम चलाया है जिसमें मोतियाबिन्द आपरेशनों पर मुख्य रूप से जोर दिया जाता है । पिछले तीन वर्षों में किए गए मोतियाबिन्द के आपरेशनों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1981–82	5.5 लाख
1982–83	8.5 लाख
1983–84	10.45 लाख
1984–85	12.87 लाख (लक्ष्य)